प्रेस नोट दिनांक- 08-08-2019

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 धर्मवीर सिंह के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07-08-2019 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 07-08-2019 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 33 वाहनों से 11600/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया व अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

1- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 174 /2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियुक्त जावेद उर्फ शब्बू पुत्र अब्दुल हमीद साकिन धनौरा मुस्तकिम थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 60 शीशी नेपाली शराब बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
2- थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 79 /2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियुक्त अखिलेश साहनी पुत्र अर्जुन साहनी साकिन सेमरहना थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 39 शीशी नेपाली शराब बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
3- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 नील /2019 धारा 11 कस्टम एक्ट का अभियुक्त नवशाद अहमद पुत्र अली हसन साकिन नसीरगंज थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 06 बोरी यूरिया खाद तथा 06 बोरी डीएपी रासायनिक खाद बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2019

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा 0 धर्मवीर सिंह के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री दिलीप कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना/कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस एवं 43 वीं बटालियन एसएसबी द्वारा कृत कार्यवाही-

दिनांक 07.08.2019 थाना/कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम व 43वीं बटालियन एसएसबी के संयुक्त टीम को रात्रि गश्त के दौरान जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ (हेरोइन) लिये जिलाधिकारी कार्यालय सिद्धार्थनगर के बायें पटरी पर खड़ा हैं,जो नेपाल की तरफ जाने के लिए सवारी का इन्तजार कर रहा है। यदि जल्दी किया

जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुँचकर थाना/कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस मय एसएसबी टीम के सदस्यों द्वारा एकान्त में खड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजीव कुमार पुत्र स्व 0 जगमोहन यादव साकिन टिकरा ऊसमा (चन्दौली) थाना जैदपुर जिला बाराबंकी बताया। नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो अभियुक्त संजीव कुमार उपरोक्त के कब्जे से 52.7 ग्राम हेरोइन नामक मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 53,00,000.00 (तिरपन लाख रूपये) है। उक्त के संबंध में थाना/कोतवाली सिद्धार्थनगर पर मु 0अ0सं0- 226/19 धारा- 8/22 N.D.P.S. Act का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के उपरान्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

संजीव कुमार पुत्र स्व 0 जगमोहन यादव साकिन टिकरा ऊसमा (चन्दौली) थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण-

52.7 ग्राम हेरोइन नामक मादक पदार्थ अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 53,00,000.00 (तिरपन लाख रूपये)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम का विवरण-

1- श्री दिनेश चन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

2- श्री बाबूलाल निरीक्षक थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

3- श्री रमेश साहनी उ0नि0 थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

4- आरक्षी नीरज कुमार थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

5- आरक्षी आलोक कुमार थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

6- आरक्षी सन्तोष कुमार थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

7- आरक्षी अजय कुमार राना थाना/कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

8- मुख्य आरक्षी रामस्वरूप 43वीं बटालियन एसएसबी सिद्धार्थनगर।

9- आरक्षी विजय प्रताप सिंह 43वीं बटालियन एसएसबी सिद्धार्थनगर।

10- आरक्षी चौधरी शिवा भाई 43वीं बटालियन एसएसबी सिद्धार्थनगर।

11- आरक्षी प्रेमसागर मौर्या 43वीं बटालियन एसएसबी सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक-08.08.2019

450 ग्राम चरस व 19 शीशी नेपाली शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ 0 धर्मवीर सिंह के निर्देशन में जनपद सिद्धार्थनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं क्रय-बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ श्री अवधेश राज सिंह को दिनांक 07.08.2019 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति झोले में नाजायज चरस व शराब लेकर आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुये उ0नि0 श्री रामनगीना यादव मय हमराह एवं एस 0एस0बी0 की संयुक्त टीम द्वारा भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संयुक्त रुप से बार्डर पैट्रोलिग शुरू कर दिया गया पैट्रोलिंग के दौरान नेपाल की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस एवं एस 0एस0बी की पैट्रोलिंग देखकर डर के भागने लगा जिसे संयुक्त टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास 450 ग्राम हसिस(चरस) व 19 शीशी नेपाली शराब बरामद किया गया गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पर मु 0अ0सं0 175/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम व 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. मगनीराम पुत्र स्व0 गोहुराऊ साकिन सतवारा वार्ड नं 0 7 महराजगंज नगर पालिका थाना महराजगंज जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01- श्री रामनगीना यादव उ0नि0 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

02- मुख्य आरक्षी चन्द्रकेश राय थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

03- आरक्षी दिनेश यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

04- श्री चन्सराम उ0नि0 एसएसबी जनपद सिद्धार्थनगर।

05- मनोज कुमार एसएसबी जनपद सिद्धार्थनगर।

06- अमित कुमार यादव एसएसबी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2019

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 धर्मवीर सिंह के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बांसी श्री नईम खां मंसूरी के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अन्तर्गत थाना बांसी पुलिस द्वारा थाना बांसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 194/19 धारा 363/366 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जरिए मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त रोडवेज तिराहा कस्बा बांसी पर मौजूद है, कहीं जाने के फिराक में है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा खड़े व्यक्ति का नाम पता तस्दीक करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेज दिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सुरेंद्र पुत्र अदालत साकिन कड़जा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री जितेंद्र मिश्रा उ0नि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

2- मुख्य आरक्षी सुरेश वरुण थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

3- महिला आरक्षी संगीता यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक (08.08.2019)

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ 0 धर्मवीर सिंह द्वारा अपराध गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं जनता में पुलिस की छवि व्यवहार कुशल बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 धर्मवीर सिंह द्वारा आज दिनांक 08-08-2019 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी।

गोष्ठी का प्रारम्भ जनपद के विभिन्न थानों से आये पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया। जिसमें कर्मचारीगण द्वारा उठाई गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली

गयी। सैनिक सम्मेलन के दौरान कतिपय कर्मियों द्वारा समस्याएं बताई गयी , जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया, इसके पश्चात अपराध गोष्ठी प्रारम्भ किया गया।

महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

1- अनवर्क आउट अभियोगों का अनावरण करते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें।

2- माल निस्तारण के सम्बन्ध में निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण करें।

3- थानों में लावारिस ,लादावा,केस प्रापर्टी, आर0टी0ओ0 द्वारा खडे कराये गये वाहनों का विवरण तथा उनका मूल्यांकन कर निलामी कराये जाने की कार्यवाही शत-प्रतिशत की जाये ।

4- अवैध शराब बनाने वालों/बेचने वालों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

5- एण्टी रोमियों स्क्वाड द्वारा समय-समय पर समस्त कालेज , स्कूल, पार्क व सार्वजनिक स्थानों पर निरन्तर नियमित गश्त कर कार्यवाही करें।

6- टॉप-टेन में चिन्हित अपराधियों व 05 वर्षीय अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7- विगत पांच वर्षो में सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में नामजद /प्रकाश में आये अपाराधियों की एच0एस0 खोलने की कार्यवाही करें।

8- विगत पाँच वर्षो में गोवध/आबकारी/धारा- 376/354 भादवि 0 व महिला सम्बन्धित जघन्य अपराधों एस 0सी0-एस0टी0 आदि में नामजद/प्रकाश मे आये अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा /गैंगेस्टर/रासुका/निरोधात्मक की कार्यवाही का पूर्ण विवरण लिया गया।

09- यातायात नियमों के पालन हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही को पूर्ण करें ।

10- दिनांक 01.01.2019 से 31.08.2019 तक खोले गये कुल एच 0एस0 का श्रेणीवार/संख्यात्मक विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया ।

11- थाने में हो रहे निर्माण कार्य/रंगाई /पुताई/स्वच्छता अभियान एवं समुचित सफाई हेतु महोदय द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

12- जिला मानीटरिंग सेल द्वारा चिन्हित कर उपलब्ध करायी गयी सबसे पुराने 05-05 अभियोगों का विवरण एवं की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

13- थाने स्तर पर चिन्हित 05-05 सबसे पुराने मुकदमें को जो मा 0 न्यायालय में मुकदमें की पैरवी कराते हुये गवाहों की शत-प्रतिशत उपस्थिती दर्ज करायी जाये, समन का तामिला शत-प्रतिशत कराया जायें व NBW की गिरफ्तारी की जाये|

14- वर्ष 2013 से 31.08.2019 तक पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त अभियोगों तथा मा0 न्यायालय में उन अभियोगों की वर्तमान स्थिति की जानकारी करके मुकदमें में पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया

15- वर्ष 2013 से 31.05.2019 तक पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त अभियोगों तथ मा0 न्यायालय में अभियोगों में की गयी कार्यवाही की वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

16- दिनांक 01.01.2005 से अब तक गोवध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही एवं उनका डोजियर तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया।

17- सभी अभियोगों की केश डायरी कम्प्यूटर से लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

18- पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत की पंजीकृत अभियोगो में से प्रत्येक उ0नि0/प्र0नि0/थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पैरवा हेतु चिन्हित किये गये अभियोगों के विवरण के समबन्ध में जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

19- समस्त थानों पर किये गये बृक्षारोपण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एंव ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक-थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया।

20- आगामी त्यौहार पर्व ईद-उल-जुहा (बकरीद) /स्वतंत्रता दिवस /रक्षाबन्धन/श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सम्बन्ध में की गयी तैयारी के विषय में विस्तृत जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

21- नेपाल बार्डर के थानों को नेपाल बार्डर पर आने-जाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही , निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम ,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा ,असिस्टेड कमाण्डेट समस्त क्षेत्राधिकारीगण , मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता ,बाल कल्याण समिति अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियोशाखा , समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष , आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा , प्रभारी डीसीआरबी शाखा , प्रभारी विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ , प्रभारी डायल- 100, प्रभारी यातायात, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक उ 0नि0 श्री अनिल कुमार शर्मा व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 08.08.2019

आज दिनांक 08.08.2019 को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री दीपक मीणा व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट सभागार में त्यौहार ईद-उल-जुहा(बकरीद)/रक्षाबन्धन/श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त) को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के गणमान्य एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ जनपद स्तर पर पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय ने संयुक्त रूप से बैठक में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों से त्यौहार को सकुशल समपन्न कराने हेतु अपील कर जागरुक किया गया | उक्त शान्ति-समिति की बैठक में जनपद के अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त क्षेत्राधिकारीगण/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व जनपद के सम्भ्रान्त व्यक्ति मौजूद रहे।